

राज्य साख योजना 2009-10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :-कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप योजनावार प्रेषित की जाए)।</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, (If any please give the following details sub-component wise if applicable).</p>	<p>शाकम्भरी योजना</p> <p>(i) 5 एच.पी. तक के डीजल/विद्युत/मिट्टी तेल पंप पर अनुदान</p> <p>(ii) कूप निर्माण पर अनुदान ।</p> <p>Sakambhari Yojna.</p> <p>(i) Subsidy on Diesel /Electric/ Kerosene Pumps upto 5 HP.</p> <p>(ii) Subsidy on Dug wells</p>
<p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित ।</p> <p>State Govt. Sponsored Scheme.</p>
<p>3 राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>कृषि(अभियांत्रिकी) संचालनालय छ.ग. रायपुर ।</p> <p>Directorate of Agriculture(Engineering)CG Raipur</p>
<p>4 जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>उप संचालक कृषि,कृषि विभाग ।</p> <p>Deputy Director Agriculture,Department of Agriculture.</p>
<p>5 योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>1. प्राकृतिक जल संसाधनों का समुचित दोहन</p> <p>2. कृषि एवं उद्यानिकी फसलों की उत्पादन में वृद्धि ।</p> <p>3. कृषकों का आर्थिक उन्नयन ।</p> <p>(1) Proper utilization of natural water resource.</p> <p>(2) Increase in Agriculture & Horticulture Crop production.</p> <p>(3) Promotion of economic status of Farmers.</p>
<p>6 क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? if not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित</p> <p>All districts of the State.</p>

<p>7 किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि</p> <p>Type of Beneficiaries covered inder theScheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women,etc.)</p>	<p>केवल लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक</p> <p>Only Small & Marginal Farmers.</p>
<p>8 हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>1. ऐसे लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक जिन्होंने पूर्व में किसी अनुदान योजना में सिंचाई पंप अथवा कूप निर्माण कार्य न कराया हो।</p> <p>2. सिंचाई पंप हेतु ऐसे कृषक जिनके पास ऐसा जल स्रोत हो जिसमें पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता हो।</p> <p>1. Those small & marginal farmers who have not taken advantage of subsidy on irrigation Pump and Dug well under any scheme.</p> <p>2. For irrigation pumps those farmers who have source of water available throughout the year.</p>
<p>9 क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis</p>	<p>सिंचाई पंप एवं कूप निर्माण में सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है।</p> <p>Assistance is provided on individual basis on irrigation pumps as well as on Dug well.</p>

1 0	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर(प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम	स.क्र. S.No.	घटक Component	अधिकतम इकाई लागतMax.Unit Cost.	अनुदान का प्रतिशत % of Subsidy	अनुदान सीमा Extent of Subsidy amount	
	<p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details</p> <p>Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	1	विद्युत पंप (Elect. Pump)	हासपावर स्पेशिफिकेशन	इकाई लागत रू.	75%	अधिकतम इकाई लागत अथवा अनुदान प्रतिशत राशि, जो भी कम हो Max.Unit Cost or the % of Subsidy whichever is less
				0.50	5200.00		
		1.00		8450.00			
		1.50		11700.00			
		2.00		12350.00			
		3.00		16250.00			
		5.00	19500.00				
		2	डिजल पंप (Diesel Pump)	3.00	20000.00		
				5.00	22500.00		
3		केरोसीन पंप (Kerosene Pump)	1.5 to 2.00	16600.00			
	3.00		20500.00				
2	कूप निर्माण हेतु भूमि का प्रकार						
1	ग्रेनाईट मनीसेस बेसाल्ट कड़ी चट्टान (Granite Ginises Basalt Heard Rock)	Dia – 6 mm Depth -10m Seining -4mm	37500.00	50%	अधिकतम इकाई लागत अथवा अनुदान प्रतिशत राशि, जो भी कम हो Max.Unit Cost or the % of Subsidy whichever is less		
		Dia – 6 mm Depth -10m Seining -4mm	41200.00				
		Dia – 6 mm Depth -10m Seining -4mm	40000.00				
1	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so,	कोई मार्जिन मनी देय नहीं है । No margin money is needed.					
1 2	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं। Type of economic activities envisaged under the Scheme.	कोई नहीं Nothing.					
1 3	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत पर अनुदान प्रतिशत राशि जो भी कम हो। % of subsidy on max. Unit cost or actual cost, whichever is less.					

<p>1 क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। 4 Whether any bank loan is envisaged under the scheme</p>	<p>जी हाँ Yes</p>
<p>1 क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिये राज्य 5 शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है। Not Required.</p>
<p>1 अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। 6 Additional details if any.</p>	<p><u>सिंचाई पंप हेतु :-</u> (i) सिंचाई पंप तथा उसकी सहायक सामग्री आई.एस.आई. मार्क होनी चाहिये। (ii) विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करेगा (iii) पंप का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (एग्रो प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाता है। (iv) कृषक अपनी पसंद के आई.एस.आई. मार्क पंप निजी विक्रेताओं / सहकारी संस्था से क्रय करने स्वतंत्र है।</p> <p><u>कूप निर्माण हेतु :-</u> (i) कूप का आकार तथा एक कूप से दूसरे कूप अथवा नलकूप की दूरी नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम न हो। (ii) असफल कूप पर वास्तविक व्यय का 50% अथवा इकाई लागत जो भी कम हो वह संचालक कृषि की स्वीकृति उपरांत देय होगा।</p> <p>For Irrigation Pumps:- (i) The pumps and its accessories should be ISI Marked. (ii) Farmers has to bear expenses of Elec.Connection. (iii) Pumps shall be supplied by C.G. Beej evum Krishi Vikas Nigam (Agro Cell) (iv) Farmer's can also purchase ISI Mark pump from private dealers/cooperative agenceies.</p> <p><u>For Dug Wells:-</u> (i) The size of the well, Distance between two dug wells or dug well & tube well should not be less than the norms of NABARD. (ii) In case of unsuccessful wells 50% of actual expenses on the unit cost, whichever is less, shall be granted after sanction from Director Agriculture.</p>

